

अप्रैल 2019 से NCR में BS-VI ईंधन की उपलब्धता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को एक हलफनामे के माध्यम से जवाब दिया है कि BS-VI ऑटो ईंधन 1 अप्रैल, 2019 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी हिससों में उपलब्ध होगा।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 1 अप्रैल, 2019 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 23 जिलों में से 17 में BS-VI ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके साथ ही 1 अप्रैल, 2019 को या उससे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में भी भी ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से यह वचन करने के लिये कहा था कि क्या 1 अप्रैल, 2019 तक 13 प्रमुख महानगरों में स्वच्छ ईंधन शुरू करना संभव है या नहीं।
- नज्जी वाहनों की कुल बिक्री में 13% डीजल वाहन का और शेष 87% अन्य खंडों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- इसके साथ ही कम कीमत के कारण किसानों द्वारा कृषि कार्यों में भी 13% डीजल का उपयोग किया जाता है।
- वभिन्न मंत्रालयों सहित पेट्रोलियम और सड़क परिवहन मंत्रालय तथा सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों, जैसे-एआरएआई और हरति प्राधिकरण ने नए BS-VI मानकों को स्थापित किया है।

क्या है भारतीय उत्सर्जन मानक?

- BS मानक यूरोपीय नियमों पर आधारित हैं।
- अलग-अलग देशों में ये मानक अलग-अलग होते हैं, जैसे- अमेरिका में ये टीयर-1, टीयर-2 के रूप में होते हैं, तो यूरोप में इन्हें यूरो मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- भारत में सर्वप्रथम उत्सर्जन नियमों की शुरुआत 1991 में हुई थी और तब ये नियम केवल पेट्रोल इंजन से चलने वाले वाहनों पर लागू होते थे।
- BS यानी भारत स्टेज वाहन उत्सर्जन मानकों को केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 में शुरू किया था।
- इसके बाद 2005 और 2006 के आस-पास वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये BS-2 और BS-3 मानकों की शुरुआत की गई। लेकिन BS-3 मानकों का अनुपालन वर्ष 2010 में शुरू किया जा सका।
- भारत स्टेज उत्सर्जन मानक आंतरिकी दहन और इंजन तथा स्प्रार्क इग्निशन इंजन के उपकरण से उत्सर्जित वायु प्रदूषण को वनियमिति करने के मानक हैं।
- इन मानकों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और वातावरण में घुल रहे जहर पर रोक लगाना है।
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के BS मानक के आगे संख्या- 2, 3 या 4 और अब 6 के बढ़ते जाने का मतलब है, उत्सर्जन के बेहतर होते मानक जो पर्यावरण के अनुकूल हैं।
- अर्थात् BS के आगे जतिना बड़ा नंबर है, उस गाड़ी से होने वाला प्रदूषण उतना ही कम।
- वशिषज्जों का कहना है कि BS-4 के मुकाबले BS-VI डीजल में प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ 70 से 75% तक कम होते हैं।
- BS-VI मानक लागू होने से प्रदूषण में काफी कमी होगी, वशिषकर डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भारी कमी आएगी।
- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के मामले में BS-VI स्तर का डीजल काफी बेहतर होगा।
- हवा में PM 2.5 का अधिकतम स्तर 60 mgcm तक होना चाहिये।
- BS-VI में यह मात्रा 20 से 40 mgcm होती है, जबकि BS-4 में 120 mgcm तक होती है।
- 1 अप्रैल से दिल्ली में BS-VI की शुरुआत के बाद सरकार 1 अप्रैल, 2019 से देश के 13 बड़े शहरों में इसे शुरू करने की योजना पर काम कर रही है।
- 2020 से यह पूरे देश में लागू हो जाएगा अर्थात् 1 अप्रैल, 2020 के बाद जो भी वाहन सड़क पर आएंगे, वे BS-VI मानक के अनुरूप होंगे।

नशिर्कषः

वर्तमान समय में वायु प्रदूषण एक गंभीर खतरा है और भारत अपने गतिशील भवषिय के लिये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तैयार करना चाहिये। इसके अलावा BS-VI मानकों को अपना नशिर्चति रूप से सही कदम है और यह देश में समग्र प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

